

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

Telefax:0141-2222493

E-mail-dibrajasthan@gmail.com

web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2017/ 8590

दिनांक: 21/11/17

मैसर्स एन.एस. पब्लिसिटी
इण्डिया प्राइवेट लि.
जयपुर

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन के तहत DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर जयपुर में स्थित बस क्यू शेल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शन के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत DAVP द्वारा निर्धारित दरों पर जयपुर में स्थित सलग्न सूची के अनुसार 30 बस क्यू शेल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शन आमजन में जागरूकता पैदा करने एवं प्रचार-प्रसार के लिए कराया जाना है ।

Directorate of Advertising & Visual Publicity (Ministry of Information & Broadcasting) New Delhi द्वारा जारी पत्र क्रमांक BQS/Rajasthan/Sep/2016-17 Date 11.11.2016 द्वारा राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित बस क्यू शेल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु फर्म M/s N S Publicity India Pvt. Ltd. 7th Floor, C 23 A, Shakun Emporia, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur को दिनांक 04.11.2021 तक अधिकृत किया जाकर प्रतिमाह निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई है:-

S.No.	Media / Location	Quantity	Display Size	Approved Rate* (per BQS per Month)	Validity
1	BQS (back-lit) in Jaipur, Rajasthan	18 BQS	128-184 Sqft per BQS	Rs. 55,000/-	Upto 04.11.2021
2	BQS (non-lit) in Jaipur, Rajasthan	16 BQS		Rs. 41,250/-	

- Flex printing charges extra at prevailing DAVP rate i.e. Rs. 20/- per sqft. for Back-lit Flex Printing and Rs. 9,50/- per sqft for non-lit Flex printing. Service tax extra, as applicable. (वर्तमान में GST लागू)

उपरोक्तानुसार DAVP में सूचीबद्ध आपकी फर्म द्वारा विभाग में प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 29.06.2017 को विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। अतः संलग्न अनुमोदित डिजाईन के अनुसार DAVP दरों पर जयपुर स्थित 30 बस क्यू शेल्टर्स पर दिनांक 10.11.2017 से तीन माह हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन कार्य प्रारम्भ कर विज्ञापन प्रदर्शित करें :-

1. DAVP द्वारा जारी पत्र क्रमांक BQS/Rajasthan/Sep/2016-17 Date 11.11.2016 में अंकित निर्धारित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।
2. फर्म द्वारा निर्धारित डिजाईन की बताये गये स्थल बस क्यू शेल्टर्स पर निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार फ्लैक्स लगाना होगा।
3. बस क्यू शेल्टर्स पर लगाने वाले फ्लैक्स की लम्बाई व चौड़ाई संलग्न सूची के अनुसार होगी।
4. फ्लैक्स पेस्टिंग/फिक्सिंग के कार्य में प्रिंटिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेस्टिंग/फिक्सिंग में कोई सलपट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।

5. बस क्यू शैल्टर्स पर लगाये गये फ्लैक्स के भुगतान का बिल मय फोटोग्राफ, दिनांक एवं लोकेशन फर्म दस्तावेज सहित निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
6. निदेशालय द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किया जायेगा, जिसके सत्यापन उपरान्त भुगतान की अभिशंषा की जावेगी।
7. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा। कार्यादेश दिये जाने के तुरन्त पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
8. कार्य में देरी की स्थिति में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
9. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी। जिस हेतु निदेशक अधिकृत होंगे। उक्त कार्य के दौरान 3rd Party की Risk एवं Liability स्वयं फर्म की रहेगी।
10. RTPP Act 2012 /Rule 2013 के समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
11. विवाद की स्थिति में निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
12. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 2/11/2017

क्रमांक:पीआरओ/डीएलबी/2017/ 8591/98
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त नगर निगम जयपुर।

9. विभाग के वरिष्ठ अधिकारी

जनसम्पर्क अधिकारी